न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 228 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** प्रदीप चौहान

मु0अ0सं0–10 सन् 2025
धारा–103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता
थाना–चुनार, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्त **प्रदीप चौहान** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 05.01.2025 से 09.01.2025 के मध्य किसी समय आपने साशय सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा बाबूलाल मौर्य के पुत्र विकास मौर्य की हत्या कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि आपने वादी मुकदमा बाबूलाल मौर्य के पुत्र विकास मौर्य की हत्या करने के पश्चात उक्त अपराध के दण्ड से बचने के लिए मृतक के शव, उसके खून लगे कपड़े, मोबाईल व मोटरसाईकिल को साक्ष्य विलोपित करने के उद्देश्य से छिपा दिया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–238(क) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–28.08.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–28.08.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 228 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** प्रदीप चौहान

मु0अ0सं0–10 सन् 2025
धारा–103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता
थाना–चुनार, जिला–मीरजापुर।

28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त प्रदीप चौहान जेरे हिरासत समक्ष न्यायालय उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्त प्रदीप चौहान के विरूद्ध धारा–103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त प्रदीप चौहान के विरूद्ध धारा–103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 11.09.2025 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।